उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-10/2023/एस-2-।/268977/दस-2023-166/2022

लखनऊ :: दिनॉक:: 01 फरवरी, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री विनोद कुमार, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।
2	श्री रत्नेश कुमार सिंह, निदेशक, वित्त (वर्टिकल हेड), राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-10/2023-एस-2-।/268977(1)/दस-2023,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/नमामि गंगे/कारागार/महिला कल्याण/आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक,रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।

3- निदेशक, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।

4- पुलिस उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, यूनानी/होम्योपैथी, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

9- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

10- संबंधित अधिकारीगण ।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय प्रताप सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।